



भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों के अधिकार: राजनीतिक चिंतन, शासन और सार्वजनिक नीति का विश्लेषण

अभिषेक कुमार

(शोधार्थी)

राजनीति विज्ञान विभाग,

जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (सारण), बिहार।

ई-मेल: abhishek291897@gmail.com

शोध सार (Abstract)

भारतीय संघीय व्यवस्था भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया गया है। यह शोध पत्र राज्यों को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों, उनकी व्यावहारिक स्थिति तथा बदलते राजनीतिक-प्रशासनिक संदर्भ में उनकी भूमिका का अध्ययन करता है।

भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को अपनाते हुए केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिससे भारतीय संघवाद को अर्ध-संघीय या केंद्रित संघवाद की संज्ञा दी जाती है। इस अध्ययन में डॉ. भीमराव अंबेडकर, के.सी. व्हेयर तथा अन्य राजनीतिक चिंतकों के संघवाद संबंधी विचारों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में शक्तियों के विभाजन तथा अनुच्छेद 246, 256, 356 और 365 जैसे संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से राज्यों के अधिकारों और सीमाओं की विवेचना की गई है। शासन के स्तर पर योजना आयोग से नीति आयोग तक की यात्रा, जीएसटी व्यवस्था, वित्त आयोग तथा अंतर-राज्य परिषद जैसी संस्थाओं के प्रभाव का भी अध्ययन किया गया है। इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों के अधिकारों का सम्मान, संतुलित केंद्र-राज्य संबंध तथा प्रभावी संघीय शासन अनिवार्य है।

मुख्य शब्द: भारतीय संघवाद, राज्यों के अधिकार, केंद्र-राज्य संबंध, सहकारी संघवाद, सार्वजनिक नीति, शासन व्यवस्था

प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय संविधान की शासन संरचना संघीय सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है। संघवाद का मूल उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय विविधताओं के संरक्षण के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना होता है।



भारत जैसे बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाले देश में यह व्यवस्था शासन को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने में सहायक सिद्ध होती है।¹ भारतीय संघीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता के समय देश की राजनीतिक परिस्थितियों और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियाँ प्रदान की थीं। इस कारण अनेक विद्वानों ने भारतीय संघवाद को अर्ध-संघीय या केंद्रित संघवाद की संज्ञा दी है।² संविधान सभा की बहसों में संघीय ढाँचे के स्वरूप पर व्यापक चर्चा हुई थी। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि भारतीय संविधान सामान्य परिस्थितियों में संघीय रूप में कार्य करेगा, किंतु आवश्यकता पड़ने पर यह एकात्मक स्वरूप भी धारण कर सकता है।³ यह विशेषता भारतीय संघवाद को अन्य देशों की संघीय व्यवस्थाओं से अलग बनाती है। समकालीन समय में राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के कारण केंद्र-राज्य संबंधों की प्रकृति में भी परिवर्तन आया है। आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, कर सुधार तथा नई प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना ने संघीय ढाँचे को प्रभावित किया है। विशेष रूप से वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था, नीति आयोग और वित्त आयोग जैसी संस्थाओं ने राज्यों की भूमिका को नए रूप में परिभाषित किया है।⁴ इन परिस्थितियों में यह अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों के अधिकार किस प्रकार विकसित हुए हैं और वर्तमान समय में शासन तथा सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में उनकी क्या भूमिका है। प्रस्तुत शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय संघीय ढाँचे में राज्यों के संवैधानिक अधिकारों, राजनीतिक चिंतन तथा सार्वजनिक नीति के संदर्भ में उनके महत्व का विश्लेषण करना है।

साहित्य समीक्षा (Literature Review / Book Review)

भारतीय संघवाद के अध्ययन पर अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संघीय सिद्धांत और केंद्र-राज्य संबंधों को समझने के लिए विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों और संवैधानिक विद्वानों के विचार अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं।

संघवाद के सैद्धांतिक आधार को समझाने में के.सी. व्हीयर का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Federal Government में संघीय व्यवस्था को ऐसी प्रणाली बताया है, जिसमें केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से किया जाता है और दोनों स्तर की सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। उनके अनुसार संघवाद का मूल उद्देश्य शक्ति का विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्तर पर प्रभावी शासन सुनिश्चित करना है।



भारतीय संविधान के विकास और उसके संघीय स्वरूप का विस्तृत अध्ययन ग्रेनविल ऑस्टिन ने किया है। उनकी पुस्तक *The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation* भारतीय संविधान के मूल उद्देश्यों और संरचना का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। उनके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से एक समतामूलक समाज का निर्माण करना भी था।

डी.डी. बसु ने भारतीय संविधान की संरचना और उसके संघीय स्वरूप का विस्तृत विश्लेषण किया है। उनके अनुसार भारतीय संघवाद एक विशिष्ट मॉडल है, जिसमें संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की विशेषताएँ मौजूद हैं। उनका मानना है कि संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्रदान कीं, किंतु साथ ही राज्यों को भी पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं।

भारतीय राजनीति और केंद्र-राज्य संबंधों के अध्ययन में रजनी कोठारी का योगदान भी महत्वपूर्ण है। उनकी पुस्तक *Politics in India* भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विकास और उसमें क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका को समझने में सहायक है। उनके अनुसार भारतीय लोकतंत्र में राज्यों की भूमिका समय के साथ अधिक महत्वपूर्ण होती गई है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय मुद्दों का प्रभाव बढ़ा है।

इसके अतिरिक्त पॉल एपलबी, एम.पी. जैन और रोनाल्ड वाट्स जैसे विद्वानों ने भी संघवाद और प्रशासनिक संरचना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है।

इन सभी अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संघवाद एक गतिशील व्यवस्था है, जो समय के साथ बदलती राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती रहती है। साहित्य समीक्षा से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संघवाद की प्रकृति को समझने के लिए केवल संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रक्रियाओं, प्रशासनिक संस्थाओं और सार्वजनिक नीतियों का विश्लेषण भी आवश्यक है।

सैद्धांतिक ढाँचा (Theoretical Framework)

इस शोध-पत्र का सैद्धांतिक आधार संघवाद के विभिन्न सिद्धांतों और मॉडलों पर आधारित है। संघवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें शासन की शक्तियाँ विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच विभाजित होती हैं। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन, प्रशासनिक दक्षता और क्षेत्रीय स्वायत्तता को प्रोत्साहित करती है। संघवाद का पारंपरिक मॉडल यह मानता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए तथा दोनों स्तर की सरकारें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य



करें। किंतु आधुनिक समय में संघवाद के विभिन्न नए मॉडल विकसित हुए हैं, जैसे—सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद तथा अर्ध-संघीय मॉडल।

सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) वह व्यवस्था है, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर नीतियों और विकास कार्यक्रमों को लागू करते हैं। भारत में योजना आयोग (पूर्व) तथा वर्तमान में नीति आयोग इस मॉडल के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। इस व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, समन्वय और संवाद की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद (Competitive Federalism) में राज्यों के बीच आर्थिक विकास, निवेश आकर्षण और प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। यह मॉडल आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में अधिक स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया है। विभिन्न राज्य निवेश आकर्षित करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियाँ अपनाते हैं, जिससे समग्र राष्ट्रीय विकास को गति मिलती है।

भारतीय संघवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू अर्ध-संघीय मॉडल (Quasi-Federal Model) है। इस मॉडल के अनुसार भारतीय संविधान में संघीय संरचना होने के बावजूद केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए, आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति शासन तथा विशेष परिस्थितियों में राज्य विषयों पर केंद्र की विधायी शक्ति इस प्रवृत्ति को दर्शाती है। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से भारतीय संघवाद को एक मिश्रित मॉडल माना जा सकता है, जिसमें संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की विशेषताएँ विद्यमान हैं। यही विशेषता इसे अन्य देशों की संघीय व्यवस्थाओं से अलग बनाती है।

भारतीय संविधान में राज्यों के अधिकार

भारतीय संविधान की संघीय संरचना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना है। संविधान निर्माताओं ने यह समझा था कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में प्रशासनिक प्रभावशीलता और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिए राज्यों को पर्याप्त अधिकार प्रदान करना आवश्यक है। इसी कारण संविधान में राज्यों को विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनके माध्यम से वे अपने क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास से संबंधित नीतियाँ बना सकते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन मुख्यतः सातवीं अनुसूची के माध्यम से किया गया है। इसमें तीन सूचियाँ निर्धारित की गई हैं—संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों के माध्यम से यह निर्धारित किया गया है कि किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किस स्तर की सरकार के पास होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य शासन में



स्पष्टता और संतुलन बनाए रखना है, जिससे विभिन्न स्तर की सरकारें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

संघ सूची (Union List) में वे विषय शामिल किए गए हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिनका संचालन पूरे देश के स्तर पर किया जाना आवश्यक है। इनमें रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, रेलवे, डाक एवं संचार जैसे विषय शामिल हैं। इन विषयों पर केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। संघ सूची का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना है। यद्यपि यह सूची मुख्य रूप से केंद्र के अधिकारों को परिभाषित करती है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से यह राज्यों के अधिकारों की सीमाओं को भी स्पष्ट करती है।

इसके विपरीत राज्य सूची (State List) राज्यों के अधिकारों का मुख्य आधार है। इसमें वे विषय शामिल किए गए हैं जो स्थानीय और क्षेत्रीय महत्व के होते हैं तथा जिनका संचालन राज्य सरकारों द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। राज्य सूची में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, सिंचाई, स्थानीय शासन, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाएँ जैसे विषय शामिल हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मुख्यतः राज्य विधानसभाओं को प्राप्त है। यह व्यवस्था राज्यों को अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार नीतियाँ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करती है।

राज्य सूची का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह राज्यों को प्रशासनिक और नीतिगत स्वायत्तता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, कृषि और स्वास्थ्य जैसे विषय राज्य सूची में होने के कारण राज्य सरकारें अपने क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार योजनाएँ और कार्यक्रम तैयार कर सकती हैं। इसी प्रकार पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भी राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती है, जिससे राज्य अपने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं।

समवर्ती सूची (Concurrent List) भारतीय संघवाद की एक विशेष विशेषता है। इसमें वे विषय शामिल किए गए हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इनमें शिक्षा, वन, श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा, विवाह और तलाक जैसे विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची का उद्देश्य उन क्षेत्रों में सहयोगात्मक शासन को बढ़ावा देना है, जहाँ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर नीति निर्माण आवश्यक होता है। यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं और उनमें विरोधाभास होता है, तो संविधान के अनुसार केंद्र का कानून प्रभावी माना जाता है।

भारतीय संविधान में विधायी शक्तियों के वितरण को अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधानसभाओं की विधायी शक्तियों को परिभाषित करता है तथा यह निर्धारित करता है कि कौन-सी सूची किस स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। अनुच्छेद 246 भारतीय संघवाद की आधारशिला



माना जाता है, क्योंकि यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन को सुनिश्चित करता है। संविधान में राज्यों को केवल विधायी अधिकार ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करती हैं और विभिन्न विभागों के माध्यम से विकास कार्यक्रमों को लागू करती हैं। प्रशासनिक स्तर पर राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास और स्थानीय शासन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इन क्षेत्रों में नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन राज्यों की प्रशासनिक क्षमता पर निर्भर करता है। राज्यों के अधिकारों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू वित्तीय अधिकार है। भारतीय संविधान में वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। केंद्र और राज्यों के बीच कराधान की शक्तियों का विभाजन भी सातवीं अनुसूची के माध्यम से निर्धारित किया गया है। कुछ कर जैसे आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि भूमि राजस्व, कृषि कर और बिक्री कर जैसे कर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य दोनों स्तर की सरकारों को अपने-अपने कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है।

वित्तीय संसाधनों के वितरण में वित्त आयोग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, जिसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण के संबंध में सिफारिशें करना होता है। वित्त आयोग यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि राज्यों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों, ताकि वे अपने विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें।

हालाँकि संविधान राज्यों को अनेक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में केंद्र को राज्यों के विषयों पर भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करती है कि किसी राज्य विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है।

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान भी केंद्र को राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अपने नियंत्रण में ले सकती है। यद्यपि इस प्रावधान का उद्देश्य संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करना है, किंतु इसके दुरुपयोग की संभावना को लेकर कई बार आलोचना भी की गई है।

समग्र रूप से देखा जाए तो भारतीय संविधान राज्यों को पर्याप्त अधिकार प्रदान करता है, किंतु साथ ही केंद्र को भी कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, ताकि राष्ट्रीय एकता



और प्रशासनिक स्थिरता को बनाए रखा जा सके। यही कारण है कि भारतीय संघवाद को अक्सर एक संतुलित लेकिन केंद्र-प्रधान व्यवस्था के रूप में देखा जाता है।

इस प्रकार भारतीय संविधान में राज्यों के अधिकार लोकतांत्रिक शासन की एक महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। राज्य सरकारें अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार नीतियाँ बनाकर विकास और प्रशासन को प्रभावी बना सकती हैं। साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय भारतीय संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

केंद्र-राज्य संबंध और संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान की संघीय संरचना का एक प्रमुख उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच संतुलित तथा समन्वित संबंध स्थापित करना है। भारत में संघवाद का स्वरूप पारंपरिक संघीय व्यवस्थाओं से कुछ भिन्न है क्योंकि इसमें केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जबकि राज्यों को भी प्रशासनिक और नीतिगत स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था इस उद्देश्य से विकसित की थी कि राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके। इसलिए भारतीय संघीय व्यवस्था को अक्सर एक ऐसी प्रणाली के रूप में देखा जाता है जिसमें सहयोग, समन्वय और संवैधानिक नियंत्रण तीनों तत्व एक साथ मौजूद हैं।

भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को मुख्यतः तीन स्तरों पर व्यवस्थित किया गया है—विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। इन तीनों स्तरों पर संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि शासन की प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो और विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह भी है कि राष्ट्रीय नीतियों और स्थानीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन बना रहे।

विधायी संबंध (Legislative Relations)

भारतीय संविधान में विधायी संबंधों का निर्धारण मुख्यतः अनुच्छेद 245 से 255 के अंतर्गत किया गया है। इन प्रावधानों के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं की विधायी शक्तियों को परिभाषित किया गया है। संविधान के अनुसार संसद को पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, जबकि राज्य विधानसभाएँ अपने-अपने राज्यों के लिए कानून बना सकती हैं।

संविधान की सातवीं अनुसूची विधायी शक्तियों के विभाजन का आधार है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से यह निर्धारित किया गया है कि किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किस स्तर की सरकार के पास होगा। संघ सूची



के विषयों पर केवल संसद कानून बना सकती है, जबकि राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों द्वारा बनाए गए कानूनों में टकराव होता है, तो केंद्र का कानून प्रभावी माना जाता है।

राज्य सूची के विषयों पर सामान्यतः राज्यों को विधायी अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद को इन विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना आवश्यक है, तो संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। यह प्रावधान राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

इसी प्रकार अनुच्छेद 250 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह प्रावधान संकट की स्थिति में शासन की प्रभावशीलता को बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। आपातकाल समाप्त होने के बाद ऐसे कानून एक निश्चित अवधि तक प्रभावी रहते हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद 252 है, जिसके अंतर्गत यदि दो या दो से अधिक राज्य अपने-अपने विधानमंडलों में प्रस्ताव पारित करके संसद से अनुरोध करते हैं कि किसी राज्य विषय पर कानून बनाया जाए, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके बाद अन्य राज्य भी उस कानून को अपनाकर उसे लागू कर सकते हैं। यह प्रावधान संघीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है।

प्रशासनिक संबंध (Administrative Relations)

भारतीय संघीय व्यवस्था में प्रशासनिक संबंधों का निर्धारण मुख्यतः अनुच्छेद 256 से 263 के अंतर्गत किया गया है। इन प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रशासनिक स्तर पर सहयोग और समन्वय के साथ कार्य करें। अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और केंद्र सरकार के वैध निर्देशों का पालन करें। यदि किसी राज्य द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो केंद्र सरकार आवश्यक कदम उठा सकती है। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई नीतियाँ पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो सकें।



इसी प्रकार अनुच्छेद 257 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह राज्यों को प्रशासनिक मामलों में निर्देश दे सके, विशेष रूप से उन मामलों में जो राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय महत्व के हों। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव, संचार व्यवस्था और रक्षा से संबंधित मामलों में केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है।

भारतीय संघीय व्यवस्था में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस परिषद का उद्देश्य राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान करना तथा केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। यद्यपि इस परिषद की स्थापना संविधान के प्रारंभिक वर्षों में नहीं की गई थी, लेकिन बाद में इसे सक्रिय किया गया और यह केंद्र-राज्य संबंधों के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी।

वित्तीय संबंध (Financial Relations)

केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध भारतीय संघवाद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। संविधान में वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं ताकि दोनों स्तर की सरकारें अपने-अपने कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा कर सकें।

संविधान के अनुसार कुछ कर केवल केंद्र सरकार द्वारा लगाए जा सकते हैं, जैसे सीमा शुल्क, आयकर और उत्पाद शुल्क। वहीं कुछ कर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसे भूमि राजस्व, कृषि कर और राज्य स्तर पर लगाए जाने वाले अन्य कर। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों को भी पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।

केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को संतुलित बनाने के लिए अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना की गई है। वित्त आयोग का कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में सिफारिशें करना तथा राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करना होता है। वित्त आयोग की सिफारिशें संघीय ढाँचे में वित्तीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

वर्तमान समय में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के माध्यम से आया है। जीएसटी प्रणाली के तहत अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत किया गया है और इसके संचालन के लिए जीएसटी परिषद की स्थापना की गई है। इस परिषद में केंद्र और राज्यों दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिससे कर नीति के निर्माण में सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा मिलता है।

आपातकालीन प्रावधान और केंद्र की शक्ति



भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जो विशेष परिस्थितियों में केंद्र को राज्यों पर अधिक नियंत्रण प्रदान करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद 356 है, जिसके अंतर्गत यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इस स्थिति में राज्य की प्रशासनिक और विधायी शक्तियाँ केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती हैं।

हालाँकि इस प्रावधान का उद्देश्य संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करना है, लेकिन इसके दुरुपयोग की संभावना को लेकर कई बार आलोचना भी की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के ऐतिहासिक निर्णय में यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।

केंद्र-राज्य संबंधों के सुधार के प्रयास

समय-समय पर केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए विभिन्न आयोगों का गठन किया गया है। इनमें सरकारिया आयोग (1983) और पंची आयोग (2007) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन आयोगों ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन को मजबूत करने तथा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए अनेक सुझाव दिए।

सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए तथा केंद्र और राज्यों के बीच परामर्श और सहयोग की प्रक्रिया को मजबूत किया जाना चाहिए। पंची आयोग ने भी संघीय ढाँचे को अधिक संतुलित बनाने और राज्यों की भूमिका को सुदृढ़ करने पर जोर दिया।

समग्र रूप से देखा जाए तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को संतुलित और सहयोगात्मक बनाने के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि शासन की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से संचालित हो सके।

भारतीय संघवाद में केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, फिर भी राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है। सहकारी संघवाद, संस्थागत संवाद और संवैधानिक संतुलन के माध्यम से ही केंद्र और राज्यों के बीच स्वस्थ संबंध स्थापित किए जा सकते हैं।

शासन और सार्वजनिक नीति में राज्यों की भूमिका

भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों की भूमिका केवल प्रशासनिक इकाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे शासन और सार्वजनिक नीति के निर्माण तथा क्रियान्वयन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों और



शक्तियों के आधार पर राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुसार नीतियाँ बनाती हैं तथा विकास कार्यक्रमों को लागू करती हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में स्थानीय समस्याओं और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को समझने और उनके समाधान के लिए राज्यों की सक्रिय भूमिका अनिवार्य मानी जाती है।

भारतीय शासन व्यवस्था की बहुस्तरीय संरचना में केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करती है, जबकि राज्यों की जिम्मेदारी उन नीतियों को क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरूप लागू करने की होती है। इस प्रकार सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका नीति-निर्माण और नीति-कार्यान्वयन दोनों स्तरों पर दिखाई देती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास और सामाजिक कल्याण जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें राज्य सरकारें मुख्य रूप से नीति निर्माण और प्रशासनिक निर्णयों के लिए जिम्मेदार होती हैं।

विकास नीतियों के क्रियान्वयन में राज्यों की भूमिका

भारत में अधिकांश विकास कार्यक्रमों का वास्तविक क्रियान्वयन राज्यों के माध्यम से ही होता है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है। उदाहरण के लिए ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, शिक्षा के प्रसार और गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन मुख्यतः राज्यों के प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से किया जाता है।

राज्य सरकारें इन योजनाओं को लागू करते समय स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन भी करती हैं। उदाहरण के लिए किसी राज्य में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था प्रमुख हो सकती है, जबकि किसी अन्य राज्य में औद्योगिक विकास अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए राज्यों की नीतियाँ उनके सामाजिक और आर्थिक संदर्भों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। यह व्यवस्था संघीय प्रणाली की लचीली प्रकृति को दर्शाती है, जिसमें राज्यों को नीति निर्माण और क्रियान्वयन में पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त होती है।

सामाजिक क्षेत्र की नीतियों में राज्यों की भूमिका

सामाजिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी नीतियों के क्रियान्वयन में राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।



शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकारें विद्यालयों की स्थापना, शिक्षकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित करती हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकारें अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा योजनाओं के माध्यम से जनता को सेवाएँ प्रदान करती हैं।

सामाजिक कल्याण की कई योजनाएँ भी राज्यों के माध्यम से लागू की जाती हैं। उदाहरण के लिए गरीबों, महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन योजनाओं की सफलता काफी हद तक राज्य सरकारों की प्रशासनिक क्षमता और नीति-निर्माण की दक्षता पर निर्भर करती है।

कृषि और ग्रामीण विकास में राज्यों की भूमिका

भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित है। संविधान की राज्य सूची में कृषि, सिंचाई और भूमि सुधार जैसे विषय शामिल हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में नीति निर्माण की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्यों पर होती है।

राज्य सरकारें कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय में सुधार करने और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित करती हैं। उदाहरण के लिए सिंचाई परियोजनाओं का विकास, कृषि अनुसंधान संस्थानों की स्थापना, किसानों को सब्सिडी और तकनीकी सहायता प्रदान करना आदि कार्य राज्यों द्वारा किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सड़कों, बिजली, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी राज्यों की जिम्मेदारी होती है।

इस प्रकार कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में राज्य सरकारों की नीतियाँ देश के समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

आर्थिक विकास और निवेश को प्रोत्साहन

आर्थिक उदारीकरण के बाद राज्यों की भूमिका आर्थिक विकास और निवेश को आकर्षित करने में और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। वर्तमान समय में राज्य सरकारें औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे के निर्माण और रोजगार सृजन के लिए विभिन्न नीतियाँ अपनाती हैं। कई राज्य विदेशी निवेश और औद्योगिक परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), औद्योगिक पार्क और निवेश प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू करते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियाँ बनाकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं। इस प्रक्रिया को अक्सर प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद के रूप



में देखा जाता है, जिसमें विभिन्न राज्य आर्थिक विकास के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं।

सहकारी संघवाद और नीति निर्माण

भारतीय संघीय व्यवस्था में सहकारी संघवाद की अवधारणा भी महत्वपूर्ण है। इस मॉडल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नीतियों और विकास कार्यक्रमों को लागू करती हैं।

उदाहरण के लिए नीति आयोग एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से केंद्र और राज्य मिलकर विकास योजनाओं और नीतियों पर विचार करते हैं। नीति आयोग का उद्देश्य राज्यों को नीति निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी प्रदान करना और विकास कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाना है।

इसी प्रकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था भी सहकारी संघवाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और कर नीति से संबंधित निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। इस व्यवस्था ने केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को मजबूत किया है।

स्थानीय शासन और विकेंद्रीकरण

भारतीय लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्यता दी गई है। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को सशक्त बनाया गया।

इन संस्थाओं के माध्यम से शासन को स्थानीय स्तर तक पहुँचाने में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य सरकारें पंचायतों और नगरपालिकाओं को प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार प्रदान करती हैं और उनके माध्यम से विकास कार्यक्रमों को लागू करती हैं। इस प्रकार स्थानीय शासन की व्यवस्था राज्यों और जनता के बीच सीधे संबंध स्थापित करती है और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत बनाती है।

नीति क्रियान्वयन की चुनौतियाँ

हालांकि राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन नीति क्रियान्वयन के स्तर पर कई चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। इनमें वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रशासनिक क्षमता की सीमाएँ और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी समस्याएँ शामिल हैं।

कई बार राज्यों को केंद्र से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती, जिसके कारण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ आती हैं। इसके अतिरिक्त



विभिन्न राज्यों के बीच आर्थिक और प्रशासनिक क्षमताओं में अंतर भी नीति परिणामों को प्रभावित करता है।

इसके बावजूद राज्य सरकारें शासन और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती रही हैं और समय के साथ उनकी भूमिका और अधिक व्यापक होती जा रही है।

समग्र निष्कर्षात्मक टिप्पणी

समग्र रूप से देखा जाए तो भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्य सरकारें शासन और सार्वजनिक नीति के निर्माण तथा क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में राज्यों की नीतियाँ देश के समग्र विकास को प्रभावित करती हैं।

सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद और विकेंद्रीकरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से राज्यों की भूमिका और अधिक सशक्त हुई है। भविष्य में भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, नीति समन्वय और वित्तीय सशक्तिकरण को और अधिक बढ़ावा देना आवश्यक होगा।

समकालीन चुनौतियाँ और विश्लेषण

भारतीय संघीय व्यवस्था समय के साथ निरंतर विकसित होती रही है। बदलती राजनीतिक परिस्थितियों, आर्थिक सुधारों और प्रशासनिक नीतियों के कारण केंद्र और राज्यों के संबंधों की प्रकृति में भी परिवर्तन आया है। यद्यपि भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलित वितरण की व्यवस्था की है, फिर भी व्यावहारिक स्तर पर कई चुनौतियाँ सामने आती रही हैं। समकालीन भारत में संघीय व्यवस्था के सामने जो प्रमुख चुनौतियाँ उभर कर सामने आई हैं, उनमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, वित्तीय असंतुलन, राजनीतिक संघर्ष, क्षेत्रीय असमानताएँ और नीति क्रियान्वयन की समस्याएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

सबसे महत्वपूर्ण चुनौती केंद्रीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति है। भारतीय संघवाद को अक्सर एक "केंद्र-प्रधान" व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, क्योंकि संविधान में केंद्र को कई महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, मुद्रा और संचार जैसे महत्वपूर्ण विषय केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके अतिरिक्त आपातकालीन प्रावधानों तथा अनुच्छेद 356 के माध्यम से केंद्र को राज्यों के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की शक्ति भी प्राप्त है। यद्यपि इन प्रावधानों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करना है, लेकिन कई बार इनके उपयोग को लेकर राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुए हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती वित्तीय असंतुलन (Fiscal Imbalance) से संबंधित है। भारतीय संघीय व्यवस्था में वित्तीय संसाधनों का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार के पास केंद्रित रहता



है, जबकि राज्यों को अपने विकास कार्यक्रमों और प्रशासनिक कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। कई राज्यों का यह मत रहा है कि उन्हें अपने दायित्वों के अनुपात में पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्राप्त नहीं होते। इसी कारण राज्यों की वित्तीय निर्भरता केंद्र पर बढ़ जाती है, जिससे उनकी नीतिगत स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।

वित्त आयोग और अन्य संस्थाओं के माध्यम से इस असंतुलन को कम करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन विभिन्न राज्यों की आर्थिक स्थितियों में व्यापक अंतर होने के कारण यह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई है। समृद्ध और विकसित राज्यों की तुलना में पिछड़े राज्यों को विकास के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण को लेकर बहस होती रहती है। वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली भी केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आई है। जीएसटी व्यवस्था के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत किया गया है, जिससे कर प्रणाली अधिक सरल और पारदर्शी बनी है। हालांकि कुछ राज्यों ने यह चिंता व्यक्त की है कि जीएसटी के कारण उनकी स्वतंत्र कराधान शक्ति सीमित हो गई है। इसके साथ ही जीएसटी मुआवजा (compensation) से संबंधित मुद्दों ने भी केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को प्रभावित किया है।

समकालीन भारतीय राजनीति में राजनीतिक संघर्ष और दलगत राजनीति भी केंद्र-राज्य संबंधों को प्रभावित करती है। जब केंद्र और राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होती हैं, तो कई बार नीतिगत मुद्दों पर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। यह स्थिति विशेष रूप से उन मामलों में स्पष्ट होती है जहाँ राज्यों को लगता है कि केंद्र सरकार उनकी नीतिगत प्राथमिकताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दे रही है।

इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में राज्य सरकारों ने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियों या संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यद्यपि इन आरोपों की सत्यता का आकलन परिस्थितियों के अनुसार किया जाना चाहिए, फिर भी इस प्रकार की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा संघीय सहयोग की भावना को प्रभावित कर सकती है।

एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती क्षेत्रीय असमानताओं से संबंधित है। भारत में विभिन्न राज्यों के आर्थिक विकास के स्तर में काफी अंतर है। कुछ राज्य औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक विकसित हैं, जबकि कुछ अन्य राज्य अभी भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में हैं। इस असमानता के कारण नीति निर्माण और संसाधनों के वितरण में संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है।

विकासशील राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता और विशेष नीतिगत समर्थन की आवश्यकता होती है, जबकि विकसित राज्य अधिक स्वायत्तता और संसाधनों के नियंत्रण



की मांग करते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय असमानताएँ केंद्र-राज्य संबंधों में एक जटिलता उत्पन्न करती हैं।

प्रशासनिक क्षमता और नीति क्रियान्वयन की सीमाएँ भी एक महत्वपूर्ण चुनौती हैं। कई राज्यों में प्रशासनिक ढांचा अपेक्षाकृत कमजोर होता है, जिसके कारण विकास कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार, नौकरशाही की जटिल प्रक्रियाएँ और संसाधनों की कमी भी नीति क्रियान्वयन को प्रभावित करती हैं।

केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कई योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकारें उन्हें किस प्रकार लागू करती हैं। यदि राज्य प्रशासन में समन्वय और दक्षता की कमी होती है, तो नीतियों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए प्रशासनिक सुधार और संस्थागत क्षमता का विकास राज्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

समकालीन समय में सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की अवधारणाएँ इन चुनौतियों के समाधान के रूप में उभर कर सामने आई हैं। सहकारी संघवाद के अंतर्गत केंद्र और राज्य मिलकर नीतियों और विकास कार्यक्रमों को लागू करते हैं। नीति आयोग और जीएसटी परिषद जैसे संस्थागत मंच इस सहयोग को बढ़ावा देते हैं।

दूसरी ओर प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद राज्यों को आर्थिक विकास और निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस मॉडल में राज्य बेहतर नीतियाँ और प्रशासनिक सुधार अपनाकर निवेशकों और उद्योगों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। इससे आर्थिक विकास और प्रशासनिक दक्षता दोनों को बढ़ावा मिलता है।

इन सभी चुनौतियों के बावजूद भारतीय संघीय व्यवस्था ने समय के साथ अपनी लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का परिचय दिया है। संविधान में निहित प्रावधानों, न्यायपालिका की भूमिका तथा विभिन्न आयोगों और संस्थाओं की सिफारिशों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता रहा है।

समकालीन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि केंद्र और राज्य दोनों सहयोग और संवाद की भावना के साथ कार्य करें। संघीय ढांचे की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विभिन्न स्तर की सरकारें अपने-अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय विकास के साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करें।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संघीय व्यवस्था भारत की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। यह व्यवस्था देश की भौगोलिक विशालता, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक बहुलता को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है। संविधान निर्माताओं ने संघीय ढांचे को अपनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा कि राष्ट्रीय



एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन बना रहे। इसी उद्देश्य से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया गया, जिससे शासन की प्रक्रिया अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और लोकतांत्रिक बन सके। भारतीय संघवाद की प्रकृति पारंपरिक संघीय व्यवस्थाओं से कुछ भिन्न है, क्योंकि इसमें केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह व्यवस्था स्वतंत्रता के समय देश की राजनीतिक परिस्थितियों और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। परिणामस्वरूप भारतीय संघवाद को कई विद्वानों ने “अर्ध-संघीय” या “केंद्र-प्रधान संघवाद” के रूप में वर्णित किया है। इसके बावजूद संविधान में राज्यों को पर्याप्त विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे वे अपने-अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शासन और विकास कार्यों को संचालित कर सकें। संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों के विभाजन, अनुच्छेद 246 के माध्यम से विधायी अधिकारों की स्पष्टता तथा वित्त आयोग, अंतर-राज्य परिषद और अन्य संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इन प्रावधानों ने भारतीय संघीय व्यवस्था को एक संगठित और कार्यक्षम ढांचा प्रदान किया है। इसके साथ ही प्रशासनिक संबंधों और वित्तीय संसाधनों के वितरण से संबंधित प्रावधानों ने यह सुनिश्चित किया है कि शासन के विभिन्न स्तर एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करें। शासन और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में राज्य सरकारें नीति निर्माण और क्रियान्वयन की प्रमुख जिम्मेदारी निभाती हैं। इन क्षेत्रों में राज्यों की नीतियां न केवल क्षेत्रीय विकास को प्रभावित करती हैं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सामाजिक और आर्थिक प्रगति को दिशा देती हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक उदारीकरण के बाद प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की प्रवृत्ति ने राज्यों को विकास और निवेश आकर्षित करने के लिए नई नीतियां अपनाने के लिए प्रेरित किया है। भारतीय संघीय व्यवस्था ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, फिर भी इसके समक्ष कई चुनौतियां भी मौजूद हैं। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, वित्तीय असंतुलन, क्षेत्रीय असमानताएं, प्रशासनिक सीमाएं और राजनीतिक मतभेद जैसी समस्याएं समय-समय पर केंद्र-राज्य संबंधों को प्रभावित करती रही हैं। विशेष रूप से वित्तीय संसाधनों के वितरण और कराधान की नीतियों से संबंधित मुद्दों ने कई बार राज्यों की स्वायत्तता और केंद्र की भूमिका के बीच संतुलन को लेकर बहस को जन्म दिया है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए सहयोगात्मक संघवाद की अवधारणा को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। केंद्र और राज्यों के बीच संवाद, परामर्श और साझेदारी की प्रक्रिया को सुदृढ़ करके ही संघीय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। नीति आयोग, जीएसटी परिषद और अंतर-राज्य परिषद जैसी संस्थाएं इस दिशा में



महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि वे विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देती हैं।

भविष्य की दृष्टि से यह आवश्यक है कि भारतीय संघीय व्यवस्था को और अधिक संतुलित, समावेशी और प्रभावी बनाया जाए। इसके लिए राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत करना, प्रशासनिक क्षमता का विकास करना तथा नीति निर्माण की प्रक्रिया में राज्यों की भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है। साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास और सहयोग की भावना को भी सुदृढ़ करना होगा। समग्र रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था एक गतिशील और लचीली प्रणाली है, जिसने समय के साथ अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाला है। राज्यों के अधिकारों का सम्मान, केंद्र और राज्यों के बीच संतुलित संबंध तथा सहयोगात्मक शासन की भावना भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि इन सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो भारतीय संघीय व्यवस्था भविष्य में भी देश की राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी।

संदर्भ सूची:

1. D.D. Basu, Introduction to the Constitution of India, LexisNexis, 2018.
2. K.C. Wheare, Federal Government, Oxford University Press, 1963.
3. B.R. Ambedkar, Constituent Assembly Debates, Vol. XI, 1949.
4. Government of India, GST Council Reports.
5. K.C. Wheare, Federal Government, Oxford University Press, 1963.
6. Granville Austin, The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation, Oxford University Press, 1966.
7. D.D. Basu, Introduction to the Constitution of India, 2018.
8. Rajni Kothari, Politics in India, Orient Blackswan, 1970.
9. Ronald Watts, Comparing Federal Systems, McGill University Press, 2008.
10. Louise Tillin, Remapping India, Oxford University Press, 2013.
11. D.D. Basu, Introduction to the Constitution of India, LexisNexis, 2018.
12. M.P. Jain, Indian Constitutional Law, LexisNexis, 2014.
13. Government of India, The Constitution of India, Seventh Schedule.
14. D.D. Basu, Introduction to the Constitution of India, 2018.
15. M.P. Jain, Indian Constitutional Law, 2014.
16. Constitution of India, Seventh Schedule (Concurrent List).
17. Constitution of India, Article 246.
18. Paul Appleby, Public Administration in India, 1953.
19. M.P. Jain, Indian Constitutional Law, 2014.
20. Constitution of India, Article 280 (Finance Commission).
21. Constitution of India, Article 249.
22. Sarkaria Commission Report on Centre–State Relations, 1988.



23. D.D. Basu, Introduction to the Constitution of India, LexisNexis, 2018.
24. M.P. Jain, Indian Constitutional Law, LexisNexis, 2014.
25. Constitution of India, Articles 245–255.
26. Constitution of India, Seventh Schedule.
27. Constitution of India, Article 249.
28. Constitution of India, Article 250.
29. Constitution of India, Article 252.
30. Constitution of India, Article 256.
31. Constitution of India, Article 257.
32. Constitution of India, Article 263.
33. M.P. Jain, Indian Constitutional Law, 2014.
34. Constitution of India, Article 280.
35. Government of India, GST Council Reports.
36. Constitution of India, Article 356.
37. S.R. Bommai vs Union of India, Supreme Court of India, 1994.
38. Sarkaria Commission Report, 1988.
39. Punchhi Commission Report on Centre–State Relations, 2010.
40. Paul Appleby, Public Administration in India, Government of India Press, 1953.
41. M.P. Jain, Indian Constitutional Law, LexisNexis, 2014.
42. D.D. Basu, Introduction to the Constitution of India, 2018.
43. Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Reports.
44. B.P. Mathur, Public Administration in India, Oxford University Press, 2013.
45. Louise Tillin, Remapping India: New States and Their Political Origins, Oxford University Press, 2013.
46. Government of India, NITI Aayog Reports; GST Council Reports.
47. Constitution of India, 73rd and 74th Constitutional Amendments.